

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.11.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 20.11.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना भलुअनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.रामू प्रसाद पुत्र कमला प्रसाद सा0 परसिया अजमेर थाना भलुअनी, देवरिया** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामदकर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना बनकटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.पप्पू यादव पुत्र चन्द्रिका यादव सा0 दोन थाना दरौली सिवान बिहार** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 45 शीशी बण्टी बबली 200 एमएल देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक **20.11.2020** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 01 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➔ **थाना-कोतवाली मु0अ0सं0 847/2020 धारा-379,411 भादवि 01.अमित यादव पुत्र रामनरायण सा0 कतरारी पूर्वी टोला थाना कोतवाली, देवरिया**

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 20.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 21 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 20.11.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➔ वाहन चेकिंग के दौरान 136 वाहनों से 140500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।